



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 105-2023/Ext.]

चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 13 जून, 2023
(23 ज्येष्ठ, 1945 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग-I	अधिनियम कुछ नहीं	
भाग-II	अध्यादेश 1. हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (2023 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 1)। 2. हरियाणा नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (2023 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 2)।	5-6 7-8
भाग-III	प्रत्यायोजित विधान अधिसूचना संख्या का०आ० 34/ह०अ० 25/2008/धा० 92/2023, दिनांक 13 जून, 2023- पंजाब पुलिस (हरियाणा संशोधन) नियम, 2023.	437-438
भाग-IV	शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन कुछ नहीं	

भाग-II**हरियाणा सरकार**

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 13 जून, 2023

संख्या लैज.19/2023.— दि हरियाणा म्यूनिसिपल (अमेन्डमेन्ट) ऑर्डिनन्स, 2023 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 08 जून, 2023 की स्वीकृति के अधीन एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (ग) के अधीन उक्त ऑर्डिनन्स का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा:—

2023 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 1**हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2023**

हरियाणा नगरपालिका अधिनियम,

1973, को आगे संशोधित

करने के लिए

अध्यादेश

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में हरियाणा के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित।

चूंकि हरियाणा राज्य विधानमण्डल का सत्र नहीं हो रहा है तथा राज्यपाल की सन्तुष्टि हो गई है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है;

इसलिए, अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:—

1. यह अध्यादेश हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2023, कहा जा सकता है।
2. हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 10 में,—
 - (i) उप-धारा (3) में, “(1), (2) तथा (4)” कोष्ठकों, अंकों, चिह्न तथा शब्द के स्थान पर, “(1) तथा (2)” कोष्ठक, अंक तथा शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
 - (ii) उप-धारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“(4) (क) प्रत्येक नगरपालिका में, पिछड़े वर्ग ‘क’ के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी तथा इस प्रकार आरक्षित सीटों की संख्या, उस नगरपालिका में सीटों की कुल संख्या के समरूप अनुपात में, यथाशक्य, निकटतम होंगी, जो उस नगरपालिका की कुल जनसंख्या के अनुसार पिछड़े वर्ग ‘क’ की जनसंख्या के अनुपात की आधा होंगी तथा यदि दशमलव मान 0.5 या उससे अधिक है, तो निकटतम उच्च पूर्णांक में पूर्णांकित की जाएगी; तथा अनुसूचित जातियों के लिए पहले से ही आरक्षित सीटों को निकालने के बाद, ऐसी सीटें, उन सीटों, जिनमें पिछड़े वर्ग ‘क’ की जनसंख्या की अधिकतम प्रतिशतता है, से प्राप्त पिछड़े वर्ग ‘क’ के आरक्षण हेतु प्रस्तावित सीटों की संख्या की अधिकतम तीन गुणा में से ज़ा ऑफ लॉटस द्वारा आबंटित की जाएंगी तथा उत्तरवर्ती चुनावों में भी चक्रानुक्रम द्वारा भी आबंटित की जाएंगी:

संक्षिप्त नाम।

1973 के हरियाणा
अधिनियम 24 की
धारा 10 का संशोधन।

परन्तु नगरपालिका में कम से कम एक सदस्य, पिछड़े वर्ग ‘क’ से सम्बन्धित होगा, यदि उनकी जनसंख्या, नगरपालिका की कुल जनसंख्या का दो प्रतिशत या उससे अधिक है:

परन्तु यह और कि जहाँ इस उपधारा के अधीन पिछड़े वर्ग ‘क’ के लिए इस प्रकार आरक्षित सीटों की संख्या, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या में जोड़े जाने पर, उस नगरपालिका में सीटों की कुल संख्या का पचास प्रतिशत से अधिक है, तब पिछड़े वर्ग ‘क’ के लिए आरक्षित सीटों की संख्या, ऐसी अधिकतम संख्या तक निर्बन्धित की जाएगी, जो पिछड़े वर्ग ‘क’ तथा अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या, उस नगरपालिका में कुल सीटों के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

- व्याख्या.—(1)** इस उपधारा के अधीन पिछड़े वर्ग 'क' के आरक्षण के प्रयोजन हेतु, नगरपालिका क्षेत्र की जनसंख्या तथा उस नगरपालिका में पिछड़े वर्ग 'क' की जनसंख्या ऐसी होगी, जो ऐसी तिथि, जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, को हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 (2021 का 20) के उपबन्धों के अधीन स्थापित परिवार सूचना डाटा कोष से ली जाए।
- व्याख्या.—(2)** द्वितीय परन्तुक के प्रयोजनों हेतु, नगरपालिका में कुल सीटों का पचास प्रतिशत, जहां दशमलव मान 0.5 या उससे अधिक है, तो निकटतम उच्च पूर्णांक में पूर्णांकित करते हुए अथवा जहां दशमलव मान 0.5 से निम्न है, तो निकटतम निम्न पूर्णांक में पूर्णांकित करते हुए, नगरपालिका की कुल सीटों के आधे के रूप में ली जाएगी।
- (ख) इस उप-धारा के अधीन आरक्षित सीटों की कुल संख्या की कम से कम एक तिहाई सीटें, पिछड़े वर्ग 'क' से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी और ऐसी सीटों को इस उप-धारा के अधीन आरक्षित वार्डों में से चक्रानुक्रम द्वारा और लॉटस द्वारा आबंटित किया जा सकता है।";
- (iii) उप-धारा (5) में, "पिछड़ा वर्गों" शब्दों के स्थान पर, "पिछड़े वर्ग 'क' " शब्द, चिह्न तथा अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (iv) उप-धारा (7) में, "(4)" चिह्न, कोष्ठकों तथा अंक का लोप कर दिया जाएगा।

नरेन्द्र सुरा,
विशेष सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।